REET 2025 LEVEL-1&2

वंदन बैच

POLITY

पंचायतीराज Part -2

LIVE 09-02-2025 07:00 PM

REET POLITY

अनु. 243/I = राज्य वित आयोग

प्रत्येक 5 वर्ष से गठन - राजपाल

पहला -	KK. गोयल (1995) - २०००
दुसरा -	हीरालाल देवपुरा-2000 - २००५
तीसरा -	माणिक्य चंद खुराना - 2005 - २०१०
चौथा -	B.D कल्ला 2010 - २०१५
पाचवा -	ज्योति किरण 2015 → २०२०
छठवा -	प्रद्युमन सिंह (अध्यक्ष) → २०२५

वर्तमान → छठा
↳ अध्यक्ष - प्रद्युम्न Singh

सदस्य : अशोक लाहोरी, लक्ष्मण सिंह, सतीश चन्द डेरा जी

REET POLITY

Ex ⇒ राजस्थान = 100

छटा वित आयोग :-

राजस्व का 6.75%

- पंचायत [75.10%)
- नगरपालिका [24.90%)

ग्राम पंचायत - 75%-
पंचायत समिति -20%
जिला परिषद - 5%

REET POLITY

Note :-

यह वित आयोग अनु. 243 के अनुसार नगरिय निकायो हेतु भी कार्य करेगा |

243-J :-

- पंचायतीराज संस्थाओं का लेखा परिक्षण
- विधानमण्डल नियम बनायेगा

REET POLITY

अनु 243 K :-

- राज्य निर्वाचन आयोग - पंचायतीराज संस्थायों के लिए
- 243 ZA- नगरीय स्वशासन

राज्य निर्वाचन आयोग का गठन - 17 June 1994

कार्य 1 July 1994

- निर्वाचक नामावाली तैयार करना व पंचायत के चुनाव करवाना

* निम्न में से राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव करवाता है।

(A) पंचायती राज
(B) नगरीय स्वशासन
(C) विधानमण्डल
(D) केवल A व B
(E) उपर्युक्त सभी

केन्द्रीय चुनाव आयोग निम्न चुनाव करवाता है।

→ लोकसभा
→ राज्यसभा
→ राष्ट्रपति
→ उपराष्ट्रपति
→ विधानमण्डल

REET POLITY

नियुक्ति	-	राज्यपाल
कार्यकाल	-	5 year या 65 year
हटाना	-	HC के जज के समान
त्यागपत्र / शपथ	-	राज्यपाल
वेतन	-	2.25 लाज

REET POLITY

राज्य निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय निकाय होता है।

- मुख्य निर्वाचन आयुक्त (अध्यक्ष)
- सचिव [मुख्य निर्वाचन अधिकारी]
- केन्द्र निर्वाचन आयोग का राज्य का प्रतिनिधि
- उपसचिव
- सहायक सचिव
- जिला निर्वाचन अधिकारी (~~कलक्टर~~) → कलक्टर
- रिटैनिंग ऑफिसर

REET POLITY

(अनु. 243-L)

संघ शासित प्रदेशो में पंचायतीराज के भाग 9 के प्रावधानो का लागू होना)

केन्द्र शासित

पंचायतीराज

अनु. 243-M

भाग 9 के प्रावधान कुछ अंगो में लागू नही होना

1. नागालैण्ड, मेघालय, मिजोरम
2. मणिपुर के पर्वतीय क्षेत्रो में
3. प. बंगाल के दार्जिलिंग जिले के पर्वतीय क्षेत्रों में जहा गोरखा परिषदों का अस्तित्व है

अनु 244 में उल्लेखित SC/ST क्षेत्रो में भाग-9 के पंचायतीराज प्रवधान लागु नही होते

REET POLITY

PESA-Act-1996

Penchayats extension to the scheduled area Act-1996

पंचायतो का प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रो में विस्तार) Act-1996

गठन -दिलिप सिंह भूरिया समिति की सिफारिश -1994

लागु – 24 dec 1996

REET POLITY

राजस्थान में PESA act. 2.Nov. 2011 से लागु

Pesa act. भारत के 10 राज्यो में लागू है।

आध्रप्रदेश	तेलंगाना
महाराष्ट्र	गुजरात
मध्यप्रदेश	झारखण्ड
छतीसगढ़	उड़ीसा
हिमाचल	राजस्थान

REET POLITY

PESA act राज के 8 जिलो में लागु है।

बांसवाड़ा
डूगरपुर
प्रतापगढ़

पूर्णत लागु

पाली
सिरोही
राजसमद
न्वितौड़गढ़
उदयपुर

आंशिक रूप से लागु

REET POLITY

राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था

- पंचायतीराज विभाग - 1949
- राजस्थान ग्राम पंचायत Act. -1953 (लागु 1Jan-1954)
- राजस्थान पंचायत समिति व जिला परिषद Act- 1959
- ** राजस्थान पंचायतीराज Act. 1994 (लागु - 23AP-1999)
- *** राज. पंचायतीराज नियम-1996 (लागु -30 dec-1996)

REET POLITY

राजस्थान में पंचायतीराज से जुडी समितियां

- सादिक अली समिति - गठन-1964
- गिरधारी लाल व्यास - गठन -1973
- हरलाल सिंह खर्रा समिति – गठन -1990
- गुलाब चन्द कटारिया - 2009

MP

REET POLITY

वार्ड सभा :- वार्ड स्तर पर

- 7 Jan 2000 को राज. देश का पहला राज्य
- अध्यक्ष-वार्डपंच
- सदस्य पंजीकृत मतदाता
- वाई सभा का प्रावधान संविधान से नही है।

अनु. 243A

- गठन - ग्राम स्तर पर
- राज. में पहली बार - 26 Jan -1999 - सांगानेर की
- गुहाना ग्राम पंचायत में – CM गहलोत
- अध्यक्ष - सरपंच
- उपाध्यक्ष - उपसरपंच
- सदस्य - ग्राम सभा के पंजीकृत मतदाता

ग्राम सभा = सदस्य
↳ संवैधानिक संस्था

REET POLITY

ग्राम सभा की बैठक - न्यूनतम – 2 बार (वर्ष)

वर्तमान – 4 बार

I. 26 JAN

II. 02 OCT

III. 1 MAY

IV. 15 Aug

REET POLITY

नगरीय स्वशासन

भारत में सबसे पहले 1688 में मदास नगर निगम की स्थापना की

राजस्थान में :-

माउण्ट आबू	-	1864
अजमेर	-	1866
ब्यावर	-	1867
जयपुर	-	1869

REET POLITY

- लार्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक
- राज की प्रथम निर्वाचित नगर पालिका - ब्यावर
- राज का प्रथम नगर निगम - जयपुर
- संवैधानिक दर्जा देने के लिए राजीव गाधी सरकार द्वारा

  64 वां CA 1989 - असफल

  ↓

  संविधान संशोधन

REET POLITY

- PV नरसिम्हाराव द्वारा 74 संविधान संसोधन 1992
- राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित - AP-1993
- लागु 1 June 1994
- नया भाग -9A
- अनु. 243P-243 ZG

22 Dec → L.S. ✓
23 Dec → R.S. ✓
1992

अनुसूची-12वीं [विषय = 18]

राज में नगरपालिकाओं से जुड़े 4 अधिनियम

i. राजस्थान नगरपालिका अधिनियम-1951

ii. राजस्थान नगरपालिका Act 1959

iii. राज नगरपालिका Act-1992

iv. नगरपालिका Act-2009

वर्तमान में इसी Act द्वारा नगरीय स्वशासन चलाया जाता है

विधानसभा 27 Aug. 2009

राज्यपाल -11 sept.2009

राज्य मे लागु - 15 sept. 2009

REET POLITY

अनु- 243 P- परिभाषाएँ

अनु. 243 Q-नगरपालिकाओं का गठन 3 स्तर पर

संक्रमणकालीन क्षेत्र - नगरपालिका

गांव + शहर

लघुतर नगरीय क्षेत्र - नगर परिषद

बृहतर नगरीय क्षेत्र - नगर निगम

REET POLITY

अनु. 243 ZD :- जिला आयोजन समिति

- जिला स्तर पर ग्रामिण स्वशासन तथा शहरी स्वशासन के मध्य आपस में समन्वय स्थापित करने के लिए
- इसके 4/5 सदस्यो का चुनाव निर्वाचित होगे।
- यह निर्वाचन जिला परिषद सदस्य तथा नगरपालिका सदस्यों द्वारा अपने में से किया जाता है।

REET POLITY

Total member

25 सदस्य

- 20 सदस्य निर्वाचित
  - I. 16 ग्रामीण
  - II. 4 शहरी
- 3 पदेन
  - I. जिला कलक्टर
  - II. CEO [मुख्य कार्यकारी अधिकारी
  - III. ACEO → अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी
- 2 मनोनीत
  - राज्य सरकार द्वारा
  - MLA + MP → सांसद
  - विधायक

REET POLITY

नगर पालिका

50 हजार – 1 लाख

- II. श्रेणी नगरपालिका - 50k - 1 लाख
- III. श्रेणी नगरपालिका - 25K - 50k [K- हजार]
- IV. श्रेणी नगरपालिका → 25K से कम
- मुखिया – अध्यक्ष / चेयरमैन
- न्यूनतम वार्ड - 13
- प्रशासनिक अधिकारी - EO [अधिशाषी अधिकारी]

REET POLITY

नगर परिषद :

1 लाख से 5 लाख जनसंख्या तक

राज में 36 नगरपरिषद

मुखिया - सभापति

न्यूनतम वार्ड - 13

प्रशासनिक अधिकारी - आयुक्त

REET POLITY

नगर निगम

5 लाख - 1 करोड़ जनसंख्या

राज में 10 नगर निगम

REET POLITY

मुखिया - मेयर / महापौर

न्यूनतम वार्ड - 13

प्रशासनिक मुखिया – आयुक्त

राजस्थान में अब तक नगरीय संस्थानो के 17 बार चुनाव हो चुके हैं।

REET POLITY

नगरीय निकायों में अविश्वास प्रस्ताव

- अध्यक्ष / उपाध्यक्ष को अविश्वास प्रस्ताव लाकर उनके पद से हटाया जाता है।
- अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु 3/4 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए
- जिला कलक्टर 30 day के भीतर बैठक बुलायेगा तथा बैठन मे 3/4 बहुमत प्रस्ताव पारित होने पर पदाधिकारियो को पद छोड़ना पड़ेगा

REET POLITY

Right to Recall -

चुने गए प्रतिनिधियो को जनमत संग्रह के माध्यम से वापस बुलाने का अधिकार

Rajasthan में Right to Recall का प्रयोग सबसे पहले बांरा जिले के मांगरोल नगरपालिका में अशोक जैन के लिए किया गया।

जिला प्रशासन